उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-131-2015/8459 /62-2-2015-17एम0आई0/2015
लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर,2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री मृत्युंजय कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, झॉसी सम्प्रति सम्बद्व मुख्यालय को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्व उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मामले की जॉच हेतु श्री राजीव कुमार महतानी, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नगत मामले की जॉच कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-131-2015/8459(1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने स्तर से श्री राजीव कुमार महतानी, अधीक्षण अभियंता/जॉच अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री राजीव कुमार महतानी, अधीक्षण अभियंता/जॉच अधिकारी, लधु सिंचाई मुख्यालय, को श्री मृत्युंजय कुमार, अधिशासी अभियंता के विरूद्व अनुमोदित आरोप पत्र मयसाक्ष्य दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र तामील कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

3- अधीक्षण अभियंता, लधु सिंचाई वृत्त, झॉसी।

4- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in